फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर , मुकाम जायल (नागौर)

~~सहम~~ मूलाराम बनाम रामनारायण वगैरह

किस्म मुकदमा दावा धारा 188 R.T. Act मुकदमा नम्बर 138/11 / 2011

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस्त हुक्म की तामील में जारी हुये।
9/6/11	वकील वादी के द्वारा यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। मिशल दिनांक 6/7/11 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस. डी. ... नागौर)	
6/7/11	वकील वादी उप० प्रतिवादीगण के सम्मन तामील अदम तामील नहीं आये। पुन: पेश करने हेतु हिदायत दी गई। मि० दिनांक 25-8-2011 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/8/11	वकील वादी उप० प्रतिवादी मूलाराम [?] के अलावा प्रतिवादीगण के सम्मन तामील हुए। [illegible] [illegible] [illegible] तामील [illegible] [illegible] [illegible] प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल [?] किया गया [?] [illegible] [illegible] चुनावों में व्यस्त है। पेशी [?] दिनांक 10/10/11 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/10/11	वकील वादी उप० प्रतिवादीगण नं. 1, 2, 4 से 8 [illegible] तामील होकर [?] हाजिर रहे हैं। [illegible] [illegible] [illegible] परन्तु [illegible] अनुपस्थित है [illegible] [illegible] [illegible]। प्रतिवादी नं० 3 को तलबी अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी नं० 3 को पेश हो। पेशी [?] दिनांक हेतु सम्मन तलबाना पेश हो। 24/11/11 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

2-2-18

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/प्रवण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 2-4-18.....को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

2-4-18

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/प्रवण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 13-4-18.....को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

13-4-18

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/प्रवण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 6-6-18....को प्रस्तुत करें।

13-6-18 पत्रावली ब्याज आप के द्वारा शिविर में अपना
सेवा केन्द्र आवला में पेश हुई। पत्रावली
में तहसीलदार साहब ने मौका रिपोर्ट
पेश कर अवगत कराया कि नरेगा का
कार्य कराणी रास्तो पर ही करके मुरम
डाली गई। इस में किसी भी प्रकार का
फेरबदल नहीं किया गया है। वादी ने
अपने वाद में मौजा आवला के खेत
खसरा नम्बर 195 रकबा 17=14 बीघा
की पूर्वी सींव पर कायम रास्ता मौके
ट्रेस नक्शा के अनुसार ही सड़क
बनवाने की दुआ कि है। तहसीलदार
की रिपोर्ट के अनुसार सड़क कराणी
रास्ते पर ही बनायी गई है। इस

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
	प्रकार इस वाद को चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः वादी की इस्तदुआ पूर्ण होने के कारण वाद को अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर उपकार दाखिल हो।

Scanned by CamScanner